न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 26 / 22 वर्ष 2022
जीसीएम संख्या :–2022 / 216

बउनवानी:–1. प्रेम प्रकाश पुत्र जमना लाल जाति माली निवासी व तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शंकर पुत्र जमना लाल जाति माली निवासी व तहसील चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 879 मे संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.2.2008 की पालना मे दिनांक 10.9.2022 को जारी पटटा संख्या 55 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री अब्दुल बहाव वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.2.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 879 मे संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.2.2008 की पालना मे दिनांक 10.9.2022 को जारी पटटा संख्या 55 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थी पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 27.10.1995 को कब्जे शुद्वा बाडे की भूमि का आवासीय पटटा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र मय नक्शा 30x60 फिट का प्रस्तुत किया। निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत किये गये नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर 18 फिट का रास्ता शमशान की ओर जाने वाला मौजूद है। उक्त रास्ते की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से सांठ गांठ करके 30x60 फिट के बजाय 40x60 फिट का आवासीय पटटा जारी करवा लिया जबकि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक हित के रास्ते की भूमि को बेचने का कोई अधिकार नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश जैर निगरानी निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.1995 को जारी किये गये आपत्ति नोटिस में भी चाही गयी भूमि 30x60 फिट अंकित की गयी है। इस प्रकार नोटिस मे 30x60 फिट अंकित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकार के विवादित भूखण्ड के उत्तर दिशा की ओर दर्शित सार्वजनिक आम रास्ता का अस्तित्व समाप्त करने के उद्वेश्य से 40x60 फिट भूमि का आवासीय पटटा जारी करने का निर्णय पारित कर दिया विपक्षी संख्या 2 ने निर्णय दिनांक 20.2.2008 की पालना में 10.9.2022 को 40x60 फिट का पटटा जारी कर दिया जो मौके की स्थिति से विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.10.2022 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा रास्ते की 10 फिट भूमि का पटटा जारी करवा लेने एवं अब रास्ते के लिए छोड रखी भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2022 को ग्राम पंचायत मे नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 20.10.2022 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। मुझ अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में पटटा चाहने हेतु दिनांक 27.10.1995 को नियमानुसार आवेदन किया जाने पर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 879 दिनांक 27.10.1995 को दायर की जाकर नियमानुसार आपत्ति नोटिस कमांक 95 / 290

.....(1).....

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:41 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दिनांक 28.10.1995 को जारी किया गया, नियत समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भूखण्ड की नाप की गयी तो पूर्व पश्चिम 60 फिट एवं उत्तर दक्षिण 40 फिट पाया गया तथा भूखण्ड के उत्तर मे चरपेटवा मकान रामस्वरूप माली का दक्षिण में चरपेटवा मकान भवंर लाल भोपा का पूर्व मे पडत जमीन सरकारी एवं पश्चिमी मे आम रास्ता 18 फिट बाद मकान छीतर सैनी का है। इसपर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को पुनः नवीन नक्शा पेश का आदेश दिया गया क्योकि पुराना नक्शा उत्तर दक्षिण 30 फिट का है वर्तमान मे 40 फिट भूमि मौजूद है। इसलिए सरकारी दर पर भूखण्ड विक्रय किये जाने योग्य मानते हुए रिपोर्ट कोरम के समक्ष पेश की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.2.2008 को कोरम के सदस्यो से मौका दिखवाया गया तथा मौके पर की गयी माप के अनुसार पूर्व पश्चिमी 60 एवं उत्तर दक्षिण 40 फिट कुल 2400 वर्ग फीट भूमि पायी गयी जो आबादी भूमि की सी श्रेणी मे होने के कारण 266.66 वर्ग गज सरकारी जमीन का 810/–रू प्रति वर्गगज के हिसाब से शुल्क लिया जाकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार त्रुटि नही है। अतःनिगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा मे 30X60 फिट भूखण्ड का पटटा चाहा गया है जिसकी सीमाऐ क्रमश पूर्व में सरकारी पडत भूमि, पश्चिम मे रास्ता आम गांव से मान सागर की ओर जाने वाला, उत्तर मे रामस्वरूप माली का बाडा, दक्षिण मे रामप्रसाद माली का बाडा बताया गया है तथा दिनांक 12.2.2008 को पंचायत कोरम के सदस्यो द्वारा देखे गये मौका के अनुसार अप्रार्थी को दिये गये पटटा साईज 40X60 फिट भूखण्ड की सीमाऐ पूर्व मे सरकारी पडत भूमि, पश्चिम मे आम रास्ता तालाब बन्धा की ओर जाने वाला तथा भूखण्ड के उत्तर मे चरपेटवा मकान रामस्वरूप माली का दक्षिण में चरपेटवा मकान भवंर लाल भोपा का दर्शाया गया है। उक्त दोनो नक्शो मे से प्रथम नक्शे मे दक्षिण मे रामप्रसाद माली का बाडा तथा द्वितीय नक्शे में दक्षिण में भवंरलाल भोपा का मकान दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनो नक्शो मे दक्षिण दिशा मे स्थित मकानो मे भिन्नता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.1995 मे आवासीय भूखण्ड 30X60 फिट का पटटा चाहा गया था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के ना चाहने पर भी अपनी मर्जी से दिनांक 12.2.2008 को पुन मौका दिखवाया जाकर मौके पर 40X60 फिट भूमि उपलब्ध होने के कारण 40X60 फिट भूमि का पटटा दिये जाने का आदेश जारी किया गया है जिसमे 10 फीट रास्ते की भूमि का पटटा अप्रार्थी के आवेदन के बिना ही अवैध रूप से ग्राम पंचायत द्वारा अपनी मर्जी से अप्रार्थी को दिया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत प्रतीत नही होता है ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी 10X60 फिट की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर रास्ते की भूमि को छोडते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:07:41 IST
Reason: SelfAttested